

दिनांक आज्ञा या
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

साजा होने पर भी जहिवारी से। उपर
नहीं होने पर डि। म।।।।। 17 को एम्स
पार्सि डे-युकी है। मनन किया गया
वादी द्वारा उस्तुर बाद तहसीलदार
परवारी इच्छा द्वारा तैयार फर्माया
बेनुसार दावा डिक्ली किया जाता है।
निर्जन प्रपक से लिखा जाकर शर्क
पत्रावली किया गया। पत्रावली
फैमल सुमार होकर दर्ज नम्बर से
काम है।

सहायक कलेक्टर
साँभर लोक